रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 8, 1984/आश्विन 16, 1906
No. 145] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 1984/ASVINA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 68-आईटीसी (पीएन)/84

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1984

विषय :—अप्रैल, 1984—मार्च, 1985 के लिए आयात-निर्यात नीति ।

मि० सं० 6/128/84-ईपीसी :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 18-आईटीसी (पीएन)/84 दिनांक 12 अप्रैल, 1984 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1984—मार्च, 1985 के लिए यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर किए गए समझे जाएंगे :—

क्रम सं०	आयात निर्यात नीति 1984-85 (खंड 1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	242	परिशिष्ट 17 क्रम सं० ग. 14 कालम 2	कालम-2 इस प्रकार पढ़ने के लिए शुद्ध किया जाएगा :— "चश्में, धूप के चश्में, चश्मों के फ्रेम और उनके भाग।"
2	301	परिशिष्ट 19 का अनुबंध-5 क्रम सं० 42 (क) कालम-3	क्रम सं० 42(क) के सामने कालम-3 में वर्तमान मद (5) (1) के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— "लेकिन एन्टिअक्सिडेन्टस का आयात अनुमेय रसद रासायनिकों के प्रत्येक 2 कि० ग्रा० के लिए एक कि० ग्रा० से अधिक नहीं किया जाएगा।"

प्रकाश चन्द्र जैन,
मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 58-ITC (PN)/84

New Delhi, the 8th October, 1984

Subject : Import & Export Policy for April 1984—March 1985

File No. 6/128/84-EPC :—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1984—March 1985, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 18-ITC/(PN)/84 dated the 12th April, 1984, as amended.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import & Export Policy, 1984-85 (Vol. I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	242	Appendix 17 Sl. No. C. 14 Column 2.	Column 2 shall be corrected to read as "Spectacles, Sun Goggles, Spectacle Frames and parts thereof."
2.	301	Annexure V to Appendix 19 Sl. No. 42 (a) Column 3.	The following shall be added at the end of the existing item (v) (1) in Column 3 against Sl. No. 42 (a) :— "Import of Antoxidants, however, shall not exceed 1 kg. for each 2 kgs. of Rubber Chemicals allowed."

P. C. JAIN,
Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984